न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 190 / 2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. किशनाराम पुत्र रुपाराम 2. घेवरराम पुत्र रुपाराम 3. डायाराम पुत्र रुपाराम 4 हरजीराम पुत्र रुपाराम 5.अगरतीदेवी पत्नी किशनाराम, उम्र–व्यसक सभी, जातियान –घासी, निवासी–पायलां कलां, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा		1. तहसीलदार–सिणधरी, जिला–बालोतरा 2. इन्द्रकुमार पुत्र मुल्तानम, जाति –ओसवाल, निवासी–सिणधरी 3. पारुदेवी पत्नी विरधाराम, उम्र–व्यसक सभी, जाति–कलबी, निवासी–कागों की ढाणी, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता प्राथीगर्ण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 04.09.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार [illegible] क्षेत्र पायलां कलां में मूल खसरा संख्या 517 रकबा 52–10 बीघा का खेत [illegible] राम के नाम से आया हुआ था। जिसने अपने हिस्से का अलग–अलग [illegible] किया गया था, [illegible] नाराम ने जीवो से दिनांक 18–02–2006 को पंजीयन वैचान से खरीद [illegible] कब्जा भी प्राप्त कर दिया था, और बाद में जीवों के द्वारा दुसरे दो वैचान किशनाराम के [illegible] अन्य प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 07–02–2012 को किया गया था, और बाद में सभी प्रार्थीगण ने अपने कुल रकबा 6 बीघा का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 11–08–2015 को विभाजन करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

दिया गया था। जिसके बाद किशनाराम ने अपने हिस्से में 1 बीघा का आवासीय परिवर्तन दिनांक 16–10–2015 को करवा दिया गया था। कि वर्तमान में राजस्व ग्राम पायलां कलां में नया खसरा संख्या पड़ने से अब प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 517/17, 517/18 रकबा 0.8090, 0.1618 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 का खेत 517/25 रकबा 0.2427 हैक्टेयर का पटवार सर्कल–पायलां कलां, तहसील–सिणधरी है। कि उक्त पंजीयन बैचान के आधार पर ग्राम पायलां कलां में प्रार्थीगण के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया और प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ और अलग खसरा व रकबा दर्ज किया गया। और पंजीयन बैचान के आधार पर उक्त खसरे का रजिस्ट्री में किये गये वर्णन के आधार पर व मौके पर पक्षकारान के कब्जा व काबिज के अनुसार प्रार्थी किशनाराम का एक बीघा भूमि का विभाजन भी कर दिया गया था और उस समय लठा ट्रैस में तरमीम भी कर दी गयी थी और बाद में उक्त एक बीघा भूमि का बाद में आवासीय परिर्वतन भी करवा दिया गया था, और बाकी भूमि पर रजिस्ट्री में वर्णित पडौस के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण रुप से चला आ रहा है। पक्षकारान के घर, पानी के टाके, चारबाड़ा और मौके पर अपने खेत की सीणों को रोप कर बाड़ आदि बनाई हुई है। इस प्रकार से अनियमितता व मौके से बदलाव व रजिस्ट्री में किये गये वर्णन से अलग नक्शे में तरमीम कर दी गयी है। इस प्रकार से अनियमितता व मौके से बदलाव व लठाट्रेस में तरमीम किये गये नक्शे से भिन्न तरमीम को अंजाम दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण खातेदार का रजिस्ट्री में किये गये वर्णन के अनुसार मौके पर काबिज है लेकिन वर्तमान में जो तरमीम की गयी है उसमें मौके की स्थिति से हटकर नक्शा बनाया गया है जिससे प्रार्थीगण भंयकर रूप से प्रभावित हो रहे है और मौके की स्थिति से मेल नहीं खा रहा है। नक्शा व खसरा को गलत जगह पर तरमीम में बताया गया है जो गलत है जिसे मौके व कब्जा काश्त के अनुसार किया जाना आवश्यक है।अतः आवेदन पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि तहसील **सिणधरी के – पट्वार मंडल–पायलां कलां के राजस्व ग्राम–पायलां कलां में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 517/17, 517/18 रकबा 0.8090, 0.1618 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा संख्या 517/25 रकबा 0.2427 हैक्टेयर को मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार और रजिस्ट्री में किये गये पड़ौस के अंकन के अनुसार, प्रार्थीगण के विभाजन आदेश, आवासीय सपरिर्वतन और पत्रावली में पेश नजरी नक्शे के अनुसार वापस सही तरमीम करने का आदेश फरमावें।**

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील [illegible] पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन [illegible],कि राजस्व ग्राम–पायलां कलां, पटवार क्षेत्र पायलां कलां में मूल खसरा संख्या 517 रकबा 52–10 बीघा का खेत जीवो पुत्री केसाराम के नाम से आया हुआ था। जिसने अपने हिस्से का अलग–अलग बैचान किया गया था, और किशनाराम ने जीवो से दिनांक 18–02–2006 को पंजीयन वैचान से खरीद किया गया

था और मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर दिया था, और बाद में जीवों के द्वारा दुसरे दो वैचान किशनाराम के अलावा अन्य प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 07–02–2012 को किया गया था, और बाद में सभी प्रार्थीगण ने अपने कुल रकबा 6 बीघा का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 11–08–2015 को विभाजन करवा दिया गया था। जिसके बाद किशनाराम ने अपने हिस्से में 1 बीघा का आवासीय परिर्वतन दिनांक 16–10–2015 को करवा दिया गया था। कि वर्तमान में राजस्व ग्राम पायलां कलां में नया खसरा संख्या पड़ने से अब प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 517/17, 517/18 रकबा 0.8090, 0.1618 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 का खेत 517/25 रकबा 0.2427 हैक्टेयर का पटवार सर्कल–पायलां कलां, तहसील–सिणधरी है। कि उक्त पंजीयन बैचान के आधार पर ग्राम पायलां कलां में प्रार्थीगण के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया और प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ और अलग खसरा व रकबा दर्ज किया गया। और पंजीयन बैचान के आधार पर उक्त खसरे का रजिस्ट्री में किये गये वर्णन के आधार पर व मौके पर पक्षकारान के कब्जा व काबिज के अनुसार प्रार्थी किशनाराम का एक बीघा भूमि का विभाजन भी कर दिया गया था और उस समय लठा ट्रैस में तरमीम भी कर दी गयी थी और बाद में उक्त एक बीघा भूमि का बाद में आवासीय परिर्वतन भी करवा दिया गया था, और बाकी भूमि पर रजिस्ट्री में वर्णित पडौस के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण रुप से चला आ रहा है। पक्षकारान के घर, पानी के टाके, चारबाड़ा और मौके पर अपने खेत की सीणों को रोप कर बाड़ आदि बनाई हुई है। इस प्रकार से अनियमितता व मौके से बदलाव व रजिस्ट्री में किये गये वर्णन से अलग नक्शे में तरमीम कर दी गयी है। इस प्रकार से अनियमितता व मौके से बदलाव व लठाट्रेस में तरमीम किये गये नक्शे से भिन्न तरमीम को अंजाम दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण खातेदार का रजिस्ट्री में किये गये वर्णन के अनुसार मौके पर काबिज है लेकिन वर्तमान में जो तरमीम की गयी है उसमें मौके की स्थिति से हटकर नक्शा बनाया गया है जिससे प्रार्थीगण भंयकर रूप से प्रभावित हो रहे है और मौके की स्थिति से मेल नहीं खा रहा है। नक्शा व खसरा को गलत जगह पर तरमीम में बताया गया है जो गलत है जिसे मौके व कब्जा काश्त के अनुसार किया जाना आवश्यक है।अतः आवेदन पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि तहसील सिणधरी के – पट्वार मंडल–पायलां कलां के राजस्व ग्राम–पायलां कलां में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 517/17, 517/18 रकबा 0.8090, 0.1618 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा संख्या 517/25 रकबा 0.2427 हैक्टेयर को मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार और रजिस्ट्री में किये गये पड़ौस के अंकन के अनुसार, प्रार्थीगण के विभा[illegible] आवासीय सपरिर्वतन और पत्रावली में पेश नजरी नक्शे के अनुसार वापस सही तरमीम [illegible] फरमावें। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती अपनी बह[illegible] जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने आ[illegible] तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि राजस्व ग्राम–पायलां कलां, पटवार क्षेत्र पायलां कलां में मूल खसरा संख्या 517 रकबा 52–10 बीघा का खेत जीवो पुत्री केसाराम के नाम से आया हुआ था। जिसने अपने हिस्से का अलग–अलग बैचान किया गया था, और किशनाराम ने जीवो से दिनांक 18–02–2006 को पंजीयन वैचान से खरीद किया गया था और मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर दिया था, और बाद में जीवों के द्वारा दुसरे दो वैचान किशनाराम के अलावा अन्य प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 07–02–2012 को किया गया था, और बाद में सभी प्रार्थीगण ने अपने कुल रकबा 6 बीघा का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय सिणधरी में दिनांक 11–08–2015 को विभाजन करवा दिया गया था। जिसके बाद किशनाराम ने अपने हिस्से में । बीघा का आवासीय परिर्वतन दिनांक 16–10–2015 को करवा दिया गया था। कि वर्तमान में राजस्व ग्राम पायलां कलां में नया खसरा संख्या पड़ने से अब प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 517/17, 517/18 रकबा 0.8090, 0.1618 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 का खेत 517/25 रकबा 0.2427 हैक्टेयर का पटवार सर्कल–पायलां कलां, तहसील–सिणधरी है। कि उक्त पंजीयन बैचान के आधार पर ग्राम पायलां कलां में प्रार्थीगण के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया और प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ और अलग खसरा व रकबा दर्ज किया गया। और पंजीयन बैचान के आधार पर उक्त खसरे का रजिस्ट्री में किये गये वर्णन के आधार पर व मौके पर पक्षकारान के कब्जा व काबिज के अनुसार प्रार्थी किशनाराम का एक बीघा भूमि का विभाजन भी कर दिया गया था और उस समय लठा ट्रैस में तरमीम भी कर दी गयी थी और बाद में उक्त एक बीघा भूमि का बाद में आवासीय परिर्वतन भी करवा दिया गया था, और बाकी भूमि पर रजिस्ट्री में वर्णित पडौस के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण रुप से चला आ रहा है। पक्षकारान के घर, पानी के टाके, चारबाड़ा और मौके पर अपने खेत की सीणों को रोप कर बाड़ आदि बनाई हुई है। इस प्रकार से अनियमितता व मौके से बदलाव व रजिस्ट्री में किये गये वर्णन से अलग नक्शे में तरमीम कर दी गयी है। इस प्रकार से अनियमितता व मौके से बदलाव व लठाट्रेस में तरमीम किये गये नक्शे से भिन्न तरमीम को अंजाम दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण खातेदार का रजिस्ट्री में किये गये वर्णन के अनुसार मौके पर काबि[illegible] वर्तमान में जो तरमीम की गयी है उसमें मौके की स्थिति से हटकर न[illegible] रूप से प्रभावित हो रहे है और मौके की स्थिति से मेल नहीं खा रहा है। नक्शा [illegible] को गलत जगह पर तरमीम में बताया गया है जो गलत है जिसे मौ[illegible] किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि तहसील सिणधरी के – पट्वार मंडल–पायलां कलां के राजस्व ग्राम–पायलां कलां में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 517/17, 517/18 रकबा 0.8090, 0.1618 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा संख्या 517/25 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested

पदेन अधिकारी
सिणधरी

0.2427 हैक्टेयर को मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार और रजिस्ट्री में किये गये पड़ौस के अंकन के अनुसार, प्रार्थीगण के विभाजन आदेश, आवासीय सपरिर्वतन और पत्रावली में पेश नजरी नक्शे के अनुसार वापस सही तरमीम करने का आदेश फरमावें। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा खसरा नम्बर 517/17, 517/18 व 517/25 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 1916 दिनांक 04.09.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested